न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या-डिक्री 204/2017
पंजीयन दिनांक 11.10.2017

(1). मोहन पिता हीरा जाति रेगर निवासी आछौड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). छगन पिता हीरा जाति रेगर निवासी आछौड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(3). अमरी पत्नी हीरा जाति रेगर निवासी आछौड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(4). भैरू पिता भाना जाति रेगर निवासी आछौड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(5). नन्दु पुत्री भाना जाति रेगर निवासी आछौड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(6). खेमा पुत्री भाना जाति रेगर निवासी आछौड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अपीलांट्गण

बनाम

(1). केसर पत्नी खेमा जाति रेगर निवासी आछौड़ा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(2). सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

-रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 44/2017 प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.05.2017

उपस्थित वक्त बहस-(1). बगदीराम धाकड़ -अधिवक्ता अपीलांट्गण
(2). रेस्पोडेन्ट संख्या 1 - बावजूद सूचना अनुपस्थित
(3). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 2

निर्णय **दिनांक 29.09.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादगण अपीलांट्गण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा आछौड़ा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी सख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

447, 449, 450 कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रेकॉर्ड उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित है तथा इसी हक हिस्से अनुसार वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण अपीलांट्गण अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु पक्षकारान के मध्य विवादित कृषि आराजीयात का विधिवत बंटवाडा नही होने से आये दिन विवाद होता रहता है। अन्त मे वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र मे अंकित वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का हिस्सा जरिये विभाजन अलग-अलग किया जाकर पृथक से राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 18.05.2017 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प मे रखी जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु आदेशित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने प्रथम अपील इस न्यायायल मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट्गण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

न्यायहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत की गई। पत्रावली प्रतिवादीगण अपीलांट्गण की तलबी हेतु नियत थी जिसे प्रतिवादीगण अपीलांट्गण की बिना तामील बिना जानकारी के पत्रावली लोक अदालत मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना व सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सख्या 2 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत बंटवाड़े का वादपत्र विचाराधीन था व दिनांक 18.05.2017 को लोक अदालत के तहत वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हिस्से को विभाजन से पृथक किया जाकर शेष हिस्सा प्रतिवादीगण अपीलांट्गण के खातेदारी मे यथावत रखते हुए यथासंभव पक्षकारान के कब्जे वाले भाग को उनके हिस्से मे रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट्गण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत की गई। पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत थी जिसे प्रतिवादीगण अपीलांट्गण की बिना तामील व बिना जानकारी के पत्रावली लोक अदालत मे रखी जाकर उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत वादिया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना व सिविल प्रकिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

ा के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य हे।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादीगण सख्या 1 से 6 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 44/2017 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 का जवाबदावा लिया जाकर, उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात कायम की जाकर, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए , आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर तनकीवार, अजसरे, नवनिर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 16.11.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)